कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री एस. के. कानूनगो
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 8.6.16
को प्रस्तुत।

439/08.06.2016

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

रिव्हीजन अर्ज धारा-50
म.प्र. भू-रा. संहिता ।

श्री
राजस्व मण्डल
श्रीमान् ~~अपर आयुक्त~~ महोदय,
~~इन्दौर संभाग, इन्दौर~~ ग्वालियर कैम्प इन्दौर
निग - 2049 - PBR-16.

1- संतोष पिता तुलसीराम पाटीदार
2- कैलाश पिता तुलसीराम पाटीदार
3- शंकर पिता तुलसीराम पाटीदार
तीनों निवासी-ग्राम ऊन बुजुर्ग तहसील-जिला-खरगोन म.प्र. --रिव्हीजनकर्तागण.

विरुद्ध

1- रेवाराम पिता जोगीलाल पाटीदार
2- बलीराम पिता जोगीलाल पाटीदार
3- राधेश्याम पिता जोगीलाल पाटीदार
4- मोहन पिता कड़वा पाटीदार
5- कमल पिता बाऊ पाटीदार
6- कैलाश पिता बाऊ पाटीदार
7- प्रकाश पिता बाऊ पाटीदार
8- मंशाराम पिता सुकलाल पाटीदार
9- सुखदेव पिता मोहन पाटीदार
समस्त निवासी-ग्राम ऊन बु. तहसील एवं जिला-खरगोन --प्रत्यर्थीगण

विषय:- अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, खरगोन व्दारा पारित अंतरिम-आदेश निरस्त करने बाबद ।

रिव्हीजनकर्ता गण तर्फे निवेदन है कि:--

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार, खरगोन के रा.प्र.क्रं. 4 अ-13/014-15 में पारित अंतरिम आदेश, दिनांक- 24.3.2016 से असंतुष्ट होकर निम्न आधारों पर पुनरीक्षण याचिका पेश कीज है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2049—पीबीआर / 16 जिला— खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15—11—2016	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 24—3—2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम आदेश पारित रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	